10

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
:अधिसूचना:

पटना, दिनांक– 25-8-17

संख्याः–5/आर0एल0–40–45/09 श्र0सं0– 4418 / भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2017 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः–(1.) यह नियमावली ''बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2017 के नियम–2(ग) में प्रयुक्त शब्द ''बिहार कर्मचारी चयन आयोग '' शब्द '' बिहार लोक सेवा आयोग '' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे। संशोधनः–उक्त नियमावली का नियम 2(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 4418

25/8/17
(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–5/आर0एल0–40–45/09 श्र0सं0– 4418 पटना, दिनांकः– 25-8-17
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/8/17
(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–5/आर0एल0–40–45/09 श्र0सं0– 4418 पटना, दिनांकः– 25 8.17
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/8/17
(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
:अधिसूचना:

पटना, दिनांक– 25-8-17

संख्याः–5 / आर0एल0–40–45 / 09 श्र0सं0– / अधिसूचना संख्या– / दिनांक– / का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड–(3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 4419

(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar

Labour Resources Department

Notification

Patna, Dated- 25-8-17

No:-5/RL-40-45/2009 L&R- / In exercise of the powers conferred by the provision of Article- 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar makes the following rules for the amendment of The Bihar Labour Enforcement Officers (Employment and service-conditions) Rules, 2017 :-

1. Short title and commencement :- (1) These Rules may be called " The Bihar Labour Enforcement officer (Employment and Service conditions) Amendment Rules, 2017.
   (2) It Shall extended to the Whole State of Bihar.
   (3) It shall come into force at once.

2. Amendment in Rules - 2 (c) of the said Rules, 2017 The Rule 2(c) of the said Rules 2017 shall be substituted by the following :-

" 2(c) "Commission" means The Bihar Public Service Commission,"

By the order of the Governor of Bihar

(K. Senthil Kumar)
Addl. Secretary to Government

No:-5/RL-40-45/2009 L&R- 4418 / Patna dated- 25-8-17

Copy Forwarded to superintendent, Government Press, Gulzarbag, Patna for publication in the forthcoming issue of Government Gazette/Officer incharge E- Gazette cell Department of Finance Bihar,Patna for his information and necessary action.

Addl. Secretary to Government

No:-5/RL-40-45/2009 L&R- 4418 / Patna dated- 25-8-17

Copy Forwarded to Accountant General, Bihar, Patna /All Department/ Registrar General, High Court, Patna/Secretary, Bihar Legislative Assembly/Legislative Council/ Governor Secretariat/Chief Minister Secretariat for information and necessary action.

Addl. Secretary to Government

ज्ञापांक–5 / आर0एल0–40–45 / 2009 श्र0सं0– 4419 दिनांक– 25-8-17

प्रतिलिपिः–मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव / महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार / सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / संयुक्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, कृषि श्रमिक, निदेशालय, बिहार, पटना / सभी संयुक्त श्रमायुक्त / सभी उप श्रमायुक्त / सभी सहायक श्रमायुक्त / सभी श्रम अधीक्षक एवं अध्यक्ष, बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संघ को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

25/8/17

(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–5 / आर0एल0–40–45 / 2009 श्र0सं0– 4419 दिनांक– 25-8-17

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/8/17

(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।